

अनुदान संख्या 41 - पेंशन
GRANT No. 41 - PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	400,00,00	385,21,83	-14,78,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	72301,00,00		
		75301,00,00	75059,56,78	-241,43,22
पूरक	Supplementary	3000,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्यतया पेंशन, ग्रेज्युटी, पेंशन की संराशिकृत राशि के संवितरण, भविष्य निधि, जमा सह बीमा योजना, सरकारी भविष्य निधि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना और जिसमें भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में संविधान के अनुच्छेद 290 के तहत राज्य सरकारों से वसूली जाने वाली पेंशनों में संवितरण के लिए था।

2. अनुदान के प्रभारित अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुए :-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions, Gratuities, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and include Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution,

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
appropriation	expenditure	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य	Pensions and other	39990.00	38518.23	-1471.77
सेवा निवृत्ति लाभ	Retirement Benefits			
(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹8.00 का विनियोग लाख पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे।		(I) Appropriation of ₹ 8.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.		
(II) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:		(II) Under "Civil" savings occurred under the following heads:-		
(का) "अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ता - सामान्य पेंशन" - ₹735.48 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में हुईं;		(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹735.48 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4600.00 lakhs);		
(खा) "पेंशन का स्म्राशिकृत मूल्य - साधारण पेंशन" - ₹839.67 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुईं; और		(B) "Commutated value of Pensions-Ordinary Pensions" - saving of ₹ 839.67 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹3200.00 lakhs); and		
(गा) "ग्रेज्युटी - साधारण पेंशन" - ₹507.87 लाख की बचत (₹2923.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुईं।		(C) "Gratuities-Ordinary Pensions" - saving of ₹507.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹2923.00 lakhs).		
उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।		Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from Ministries/ Departments.		
(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹281.43 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 38 प्रतिशत है।		(III) Under one head saving of ₹ 281.43 lakhs occurred constituting 38 percent of the sanctioned appropriation.		
3. उपर्युक्त बचतें "उच्च न्यायालयों के संबंध में सिविल पेंशन संबंधी प्रभारों - राज्य सरकार(रों) से वसूली जाने योग्य उच्च न्यायालय के जजों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार" के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुए		3. The above savings were partly offset by excess under "Civil-Pensionary charges in respect of High Court Judges-Pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from State		

₹1263.87 लाख के अधिक व्यय (₹22187.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई।

Government(s)" - excess of ₹1263.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹22187.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls.

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	7225770.00		
पू.	S.	300000.00		
		7525770.00	7503104.18	-22665.82
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	4330.00	2852.60	-1477.40

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹40.00 लाख की बचत हुई।

(I) Provision of ₹40.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्राप्त पूरक अनुदान उनके समक्ष दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2071" - "Civil" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "अधिशेष घोषित किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष वी आर एस से उत्पन्न अनुग्रह भुगतान - साधारण पेंशन" - ₹499.00 लाख का मूल प्रावधान फरवरी, 2024 में ₹990.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1489.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹383.01 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Ex-gratia payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as surplus-Ordinary Pensions" - the original provision of ₹499.00 lakhs was augmented to ₹1489.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹990.00 lakhs in February, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹383.01 lakhs - due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(खा) “परिभाषित अंशदान योजना के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी योगदान” – ₹864990.00 लाख का मूल प्रावधान फरवरी, 2024 में ₹100000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹964990.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹29176.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :

(का) “अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ता – साधारण पेंशन (ए. आई. एस.)” – ₹10000.00 लाख की बचत (₹120000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “पेंशन का संराशिकृत मूल्य” –

क) “साधारण पेंशन” – ₹2173.86 लाख की बचत (₹467000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

ख) “साधारण पेंशन (ए. आई. एस.)” – ₹1133.76 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(गा) “परिवार पेंशन – नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एन. पी. एस.) द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त राहत अतिरिक्त साधारण परिवार पेंशन” – ₹653.38 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन (ए. आई. एस.)” – ₹1243.30 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(B) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme-Government Contribution” - the original provision of ₹864990.00 lakhs was augmented to ₹964990.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100000.00 lakhs in February, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹29176.08 lakhs - due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(III) Under Major Head “2071” - “Civil” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120000.00 lakhs);

(B) “Commutated Value of Pensions” -

(a) “Ordinary Pensions” - saving of ₹2173.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹467000.00 lakhs);

(b) “Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹1133.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(C) “Family Pensions-Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Family Pensions” - saving of ₹653.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and

(D) “Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹1243.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(ड) “विधायकों/संसद सदस्यों को पेंशन” – कम स्क्राल प्राप्त होने के कारण ₹1355.73 लाख की बचत (₹8745.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – जमा सह बीमा योजना – सरकार पी. एफ. – सामान्य भविष्य निधि की जमा सह बीमा संशोधित योजना” मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹1306.34 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹258.67 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 86 प्रतिशत है।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई :-

(I) “अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन” – ₹3625.95 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹120000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3509601.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) “ग्रेज्युटी – साधारण पेंशन” – ₹16608.87 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹40000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹610148.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(III) “परिवार पेंशन” –

(का) “परिवार पेंशन” – ₹3141.75 लाख का अधिक व्यय (₹960600 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(खा) “नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एन. पी. एस.) द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त राहत साधारण परिवार पेंशन” –

(E) “Pensions to legislators-Members of Parliament” - saving of ₹1355.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8745.00 lakhs) was due to receipt of less scrolls.

(IV) Under Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance scheme-Government P.F. - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds” - saving of ₹1306.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(V) Under one head saving of ₹258.67 lakhs occurred constituting 86 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2071” - “Civil” - under the following heads: -

(I) “Superannuation and Retirement Allowances-Ordinary Pensions” - excess of ₹3626.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3509601.00 lakhs including supplementary grant of ₹120000.00 lakhs obtained in February, 2024).

(II) “Gratuities-Ordinary Pensions” - excess of ₹16608.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹610148.00 lakhs including supplementary grant of ₹40000.00 lakhs obtained in February, 2024).

(III) “Family Pensions” -

(A) “Family Pensions” - excess of ₹3141.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹960600.00 lakhs).

(B) “Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pensions Scheme (NPS) Ordinary

₹535.47 लाख का अधिक व्यय (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त ₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹20000.00 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में) हुआ।

Family Pensions” - excess of ₹535.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs obtained in February, 2024).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुए।

Excess under the above four heads were due to receipt of more claims from Ministries/ Departments.
